जैवकि प्रमाणीकरण के लयि छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समति, भारत वानकिी एवं कृषि-सीजीसर्ट संचालति

चर्चा में क्यों?

- 18 सतिंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वभिाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समति, भारत वानकिी एवं कृषि-सीजीसर्ट कृषि उत्पादों, लघु वनोपज उत्पादों एवं प्रस्कृत उत्पादों इत्यादि के जैवकि प्रमाणीकरण का कार्य करती है। इसके अतरिकि्त सीजीसर्ट वनों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में भी अग्रसर हो रही है।

प्रमुख बदि

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधकिारी-सीजीसर्ट वही. श्रीनविास राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समति, भारत वानकिी एवं कृषि-सीजीसर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वन वभिाग के प्रशासनकि नयिंत्रण के अधीन संचालति है।
- सीजीसर्ट राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वाणजि्य मंत्रालय, नई दलि्ली द्वारा राष्ट्रीय जैवकि उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैवकि उत्पादों के जैवकि प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायति संस्था है।
- छत्तीसगढ़ में इसका कार्यालय छत्तीसगढ़ वधिानसभा के पास राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशक्षिण संस्थान रायपुर परसिर में स्थति है।
- जैवकि प्रमाणीकरण प्रक्रयिा में प्रमाणीकरण संस्था जैसे कि सीजीसर्ट जैवकि उत्पादन, प्रसंस्करण, वक्रिय अथवा हैंडलगि क्रयिाकलापों का जैवकि मानक के अनुपालन अनुसार नगिरानी करती है।
- गौरतलब है कि देश में जैवकि खेती एवं जैवकि उत्पादों की अपार संभावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जैवकि उत्पादों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैवकि उत्पादन कार्यक्रम मानक को वर्ष 2005 में लॉन्च कयिा गया।
- इसके लयि एपडिा, नई दलि्ली ने महत्त्वपूर्ण भमिका नभिाते हुए सभी प्रदेश स्तर पर प्रमाणीकरण संस्थाओं का गठन कयिा है। भारतीय जैवकि मानक यूरोपीय मानकों और स्वटि्जरलैंड के मानकों के समकक्ष है। इसी प्रक्रयिा में सीजीसर्ट को जैवकि प्रमाणीकरण कार्य हेतु मान्यता प्रदान कयिा गया है।
- सीजीसर्ट कसिानों के जैवकि खेतों के नरिीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रयिा में वभिनि्न फसलों के जैवकि उत्पादन में प्रबंधति फसलों के रख रखाव इत्यादि का एन.पी.ओ.पी मानक अनुसार नरिीक्षण का कार्य करती है।
- प्रमाणीकरण प्रक्रयिा अंतर्गत कोई भी व्यक्तगित कसिान, कसिानों का समूह, प्रसंस्करणकर्त्ता, वक्रियकर्त्ता को पंजीयन कराना अनविार्य होता है।
- सीजीसर्ट ऐसे उत्पादक कृषक समूहों का भी जैवकि प्रमाणीकरण का कार्य करती है जो एक क्लस्टर में समूह बनाकर जैवकि खेती का कार्य करते हैं। समूह खेती में छोटे-छोटे कृषकों द्वारा जैवकि खेती करने के जैवकि उत्पादन का रकबा तथा मात्रा दोनों में ही वृद्धि होती है तथा प्रमाणीकरण का खर्च भी कम पड़ता है। इसके अतरिकित उत्पादन अधकि होने के कारण जैवकि उत्पादों के व्यापारी इन उत्पादों को वक्रिय के लयि आकर्षति होते हैं।
- सीजीसर्ट वनों से संगृहति की जाने वाली लघु वनोपजों जसिमें वभिनि्न प्रकार के औषधीय उत्पाद जैसे हर्रा, बहेड़ा, आँवला, महुआ, इमली, चरिौंजी तथा वन्य शहद के प्रमाणीकरण का कार्य करती है।
- जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की प्रकृति स्वित: ही जैवकि होती है। जैवकि प्रमाणीकरण प्रक्रयिा में इन लघु वनोपजों के उत्पादन क्षेत्रों एवं रखरखाव इत्यादि का नरिीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य एन.पी.ओ.पी. मानक अनुसार कयिा जाता है।
- सीजीसर्ट द्वारा प्रसंस्करण ईकाइयों में तैयार कयि जाने वाले प्रसंस्कृत जैवकि उत्पादों एवं कृषि कार्यो हेतु आवश्यक जैवकि खाद इत्यादि का भी प्रमाणीकरण कयिा जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgar-certification-committee-indiaf-forestry-andagricultur-egccert-operatedfor-organic-certification